प्रेस नोट दिनांक : 13.09.2026

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को कुल 20 लीटर अवैध महुआ की कच्ची देशी शराब के साथ पकड़ा गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज के उ0नि0 रीतेश कुमार राय मय हमराह द्वारा क्षेत्र में रात्रि गश्त, शांति व्यवस्था, जुर्म जरायम की रोकथाम एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग तथा वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान ग्राम मुद्दपुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ से 01 अभियुक्ता भुआईन पत्नी स्व0 राकेश सरोज, निवासी ग्राम मुद्दपुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष को 10 लीटर अवैध महुआ की कच्ची देशी शराब के साथ पकड़ा गया। इसी क्रम में उ0नि0 सर्वेश कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा ग्राम मुद्दपुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ से 0 1 अभियुक्त श्रीनाथ पुत्र स्व0 महादेव, निवासी ग्राम मुद्दपुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 52 वर्ष को 10 लीटर अवैध महुआ की कच्ची देशी शराब के साथ पकड़ा गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 150/2026, धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्ता भुआईन के विरुद्ध तथा मु0अ0सं0 151/2026, धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त श्रीनाथ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। बरामद अवैध महुआ की कच्ची देशी शराब को नियमानुसार सील किया गया।

गिरफ्तार/पकड़े गये अभियुक्तों का विवरण-

1. भुआईन पत्नी स्व0 राकेश सरोज, निवासी ग्राम मुद्दपुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष।
2. श्रीनाथ पुत्र स्व0 महादेव, निवासी ग्राम मुद्दपुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 52 वर्ष।

बरामदगी-
कुल 20 लीटर अवैध महुआ की कच्ची देशी शराब।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 रीतेश कुमार राय मय हमराह रि0का0 धीरेन्द्र कुमार, रि0का0 विद्यासागर साहनी, रि0का0 नितेश कुमार यादव, रि0का0 विकास यादव, रि0का0 विनय यादव, म0का0 पिंकी वर्मा एवं उ0नि0 सर्वेश कुमार मिश्रा मय हमराह उक्त पुलिस टीम, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना रानीगंज पुलिस की कार्यवाही: मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में वांछित नामजद अभियुक्त अरमान अली गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 13.09.2026 को समय करीब 04:00 बजे शाम प्रार्थी के चचेरे भाई कौशलेश सिंह मोटरसाइकिल से गाजी के बाग से अपने घर जा रहे थे। थरिया नाला के पास सड़क पर जगह कम होने के कारण उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल किनारे खड़ी कर दी। इसी दौरान मारुति कार से आए अरमान अली पुत्र मुजीबुर रहमान, गुफरान, इम्तियाज पुत्र मुजीबुर रहमान व 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाली-गलौज करते हुए लोहे की रॉड से कौशलेश सिंह के सिर पर वार कर दिया गया, जिससे वह घायल होकर बेहोश हो गए। मौके पर पहुंचे परिजनों को अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। उक्त घटना के संबंध में थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 459/2026 धारा 109(1)/191(2)/351(3)/352 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्यवाही की गई। इसी क्रम में उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा चिरुकुटी चौराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर साई चौराहा के पास ग्राम धनुहाँ रोड स्थित नाला पुलिया से वांछित अभियुक्त अरमान अली पुत्र मुजीबुर रहमान, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम धनुहाँ, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 14.09.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड घटना स्थल के पास खेत की मेड़ के सरपतवार से बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- अरमान अली पुत्र मुजीबुर रहमान, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम धनुहाँ, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की रॉड।

पुलिस टीम-
उ0नि0 राजेश कुमार यादव, का0 राजू गोंड, का0 दशरथ पटेल, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा पुलिस टीम पर हमला करने एवं अन्य धाराओं से संबंधित मुकदमे में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर 01 अदद बुलट मोटरसाइकिल बरामद की गई-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/प्रकाश में आये अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-342/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/352/351(3)/132/121(2)/3(5) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त को विवेचना एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मौनस का पुरवा भदरी रेलवे क्रासिंग के पास मुखबिर की सूचना पर 1- अभियुक्त पवन सरोज पुत्र धर्मपाल सरोज निवासी ग्राम कबीरपुर पूरे मातादीन बिसहिया थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 11.09.2026 की रात्रि थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत शाहजमालपुर बार्डर के पास कां0 अजीत कुमार यादव अपने साथी कां0 जीऊतलाल के साथ रात्रि गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान दो मोटरसाइकिलें, स्प्लेंडर पर 03 व्यक्ति तथा बुलेट पर 02 अज्ञात व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिसकर्मियों द्वारा रुकने का इशारा किया गया। रुकने के दौरान उक्त सभी व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर गाली-गलौज करते हुए कां0 अजीत कुमार यादव के सिर पर धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से प्राणघातक हमला किया गया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए सरकारी कार्य में बाधा डालकर मौके से फरार हो गए। सूचना पर का0 वीर बहादुर व का0 मृत्युंजय दुबे मौके पर पहुंचे तथा घायल कां0 अजीत कुमार यादव को उपचार हेतु सीएचसी कुण्डा ले जाया गया। प्रकरण में मु0अ0सं0 342/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 352, 351(3), 132, 121(2) एवं 3(5) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी-
01 अदद बुलट मोटरसाइकिल

अभियुक्त का विवरण-
1-पवन सरोज पुत्र धर्मपाल सरोज निवासी ग्राम कबीरपुर पूरे मातादीन बिसहिया थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 दुर्गेश सिंह मय का0 गजेन्द्र सिंह व रि0का0 अश्वनी सोनकर, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 547/26 धारा 115(2)/352/118(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मो0 अनस पुत्र करामत उर्फ पुत्तुन, निवासी विवेक नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 11.09.2026 की रात्रि करीब 10:00 बजे वादी मोहम्मद फैसल उर्फ अमन अपनी सब्जी की दुकान पर पार्टनर अब्दुल कलाम के साथ बैठा था। इसी दौरान अनस पुत्र पुत्तुन, परवेज पुत्र मुन्ना जेलर व एक अज्ञात व्यक्ति वहां आए और गाली-गलौज करते हुए चाकू से हमला कर दिया, जिससे वादी का कान कट गया तथा वादी व उसके पार्टनर के साथ मारपीट की गयी। शोर सुनकर लोगों के पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल वादी को उपचार हेतु प्रयागराज रेफर किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- मो0 अनस पुत्र करामत उर्फ पुत्तुन, निवासी विवेक नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 प्रशांत दुबे, का0 अभिषेक वर्मा, का0 हेमंत, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी/आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त को जनपद सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसपुर देवसरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर, धारा 316(5)/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियुक्त सन्तोष कुमार यादव पुत्र स्व0 लालजी यादव, निवासी ग्राम भीटी, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर, उम्र करीब 29 वर्ष को चांदा-कादीपुर रोड पर ग्राम भीटी के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ में दिनांक 17.09.2025 को वादी श्री ज्ञानेन्द्र यादव, रीजनल मैनेजर, आशिर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, शाखा ढकवा की तहरीर पर शाखा प्रबंधक वेद प्रकाश श्रीवास्तव, उप शाखा प्रबंधक कौस्तुभ उपाध्याय, फील्ड स्टाफ सिद्धार्थ यादव, सूरज कुमार सरोज,

संतोष कुमार यादव एवं बाहरी दलालों के विरुद्ध दिनांक 08.03.2025 से 26.06.2025 के मध्य 18 गांवों के 138 सदस्यों के साथ फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से कुल 53,90,000 रुपये की धोखाधड़ी/गबन एवं जालसाजी करने के संबंध में मु0अ0सं0 पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- सन्तोष कुमार यादव पुत्र स्व0 लालजी यादव, निवासी ग्राम भीटी, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर, उम्र करीब 29 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 हरीन्द्र नारायण राय,का0 नीरज पटेल,का0 अरविन्द यादव, का0 सोम चौहान, म0आ0 बिन्दू कुमारी, का0 वीरेन्द्र कुमार (चालक), थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 05 अदद अवैध देशी सुतली बम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, क्षेत्राधिकारी लालगंज के पर्यवेक्षण में थाना लालगंज पुलिस द्वारा दिनांक 13/14.09.2026 की रात्रि में देखभाल क्षेत्र, तलाश संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं रोकथाम जुर्म-जरायम के दौरान मुखबिर की सूचना पर मड़ना का नार उधरनपुर पुलिया के पास से 01 अभियुक्त जितेन्द्र यादव उर्फ जीतू पुत्र रामचन्द्र यादव, निवासी ग्राम मटियारी डगरारा, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 सफेद पन्नी में 05 अदद देशी सुतली बम बरामद हुए। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद वीवो एंड्रायड मोबाइल फोन भी बरामद हुआ।

उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 359/2026, धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

1-अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
अभियुक्त जितेन्द्र यादव उर्फ जीतू पुत्र रामचन्द्र यादव, निवासी ग्राम मटियारी डगरारा, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष ।
मु0अ0सं0 0295/2020, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना भदोखर, जनपद रायबरेली।
मु0अ0सं0 0431/2017, धारा 379, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना डीह, जनपद रायबरेली।
मु0अ0सं0 0068/2020, धारा 379 भादवि, थाना डीह, जनपद रायबरेली।
मु0अ0सं0 0181/2020, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना डीह, जनपद रायबरेली।

मु0अ0सं0 0131/2017, धारा 379, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना जगतपुर, जनपद रायबरेली।
मु0अ0सं0 0499/2017, धारा 379, 411 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद रायबरेली।
मु0अ0सं0 0179/2017, धारा 379, 411, 413, 414 भादवि, थाना सलोन, जनपद रायबरेली।
मु0अ0सं0 0221/2017, धारा 379, 411, 413, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना सलोन, जनपद रायबरेली।
मु0अ0सं0 0226/2017, धारा 379, 411, 413, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना सलोन, जनपद रायबरेली।
मु0अ0सं0 0552/2017, धारा 379, 411 भादवि, थाना सलोन, जनपद रायबरेली।
मु0अ0सं0 0001/2018, धारा 379, 411, 413, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना सलोन, जनपद रायबरेली।
मु0अ0सं0 0002/2018, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सलोन, जनपद रायबरेली।
मु0अ0सं0 0281/2017, धारा 392 भादवि, थाना ऊंचाहार, जनपद रायबरेली।
मु0अ0सं0 52/2021, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 359/2026, धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-
05 अदद देशी सुतली बम
01 अदद वीवो एंड्रायड मोबाइल फोन

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राम नरेश, उ0नि0 ज्ञानचन्द्र तिवारी, उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय हमराह का0 नीरज कुमार, का0 राहुल यादव एवं का0 आलोक कुमार, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

थाना कंधई पुलिस द्वारा दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कंधई पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर धारा 69/318(4)/316(2)/352/351(4) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रंजीत विश्वकर्मा पुत्र सत्यनारायण विश्वकर्मा, निवासी ग्राम उमरी भटन का पुरवा, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष को मौर्या तिराहा (चिलबिला) से किशुनगंज रोड पर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना,बरामद की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- रंजीत विश्वकर्मा पुत्र सत्यनारायण विश्वकर्मा, निवासी ग्राम उमरी भटन का पुरवा, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-
1- 01 अदद मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना।

पुलिस टीम-
उ0नि0 कैलाश यादव,का0 विवेक कुमार सिंह, रि0का0 हर्षवर्धन राघव, रि0का0 अवनीश कुमार, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़

थाना मांधाता पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी वारण्ट के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मांधाता पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय-द्वितीय, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी आदेशिका वाद सं0 466/2020, धारा 128 सीआरपीसी से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त गिरीश चन्द्र पटेल पुत्र हरीलाल पटेल, निवासी ग्राम भटपुरवा रामनगर, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़, को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-
1- गिरीश चन्द्र पटेल पुत्र हरीलाल पटेल, निवासी ग्राम भटपुरवा रामनगर, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 शिवनाथ सिंह, हे0का0 देवनारायण, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी NBW के अनुपालन में 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देल्हूपुर पुलिस टीम द्वारा न्यायालय से जारी NBW के अनुपालन में 02 वारण्टी अभियुक्तों निसार अहमद पुत्र आशिक अली, निवासी ग्राम मदईपुर, थाना

देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़, एवं इसरार अहमद पुत्र असीमउद्दीन उर्फ कल्लन, निवासी ग्राम तौकलपुर, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़, को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-
1- निसार अहमद पुत्र आशिक अली, निवासी ग्राम मदईपुर, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।
2- इसरार अहमद पुत्र असीमउद्दीन उर्फ कल्लन, निवासी ग्राम तौकलपुर, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार,उ0नि0 मारकण्डेय सिंह यादव,रि0मआ0 सौम्या राय थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस द्वारा दुष्कर्म, मारपीट, गाली-गलौज एवं धमकी आदि के मुकदमे में 01 अभियुक्त को जनपद गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बाघराय पुलिस टीम द्वारा धारा 115(2), 352, 351(3), 84, 64(1), 89 बीएनएस से सम्बन्धित नामजद वांछित अभियुक्त सत्य प्रकाश उर्फ सत्यम यादव पुत्र बुधराम यादव, निवासी ग्राम छतार, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 31 वर्ष, हाल पता नवापुरा सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड, थाना कोतवाली नगर, जनपद गाजीपुर को उसके वर्तमान पते नवापुरा सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड, जनपद गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- सत्य प्रकाश उर्फ सत्यम यादव पुत्र बुधराम यादव, निवासी ग्राम छतार, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 31 वर्ष, हाल पता नवापुरा सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड, थाना कोतवाली नगर, जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 31 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 रमेश सिंह यादव,म0उ0नि0 कीर्ति रमन, का0 अजीत कुमार थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।